

108



PBR/नगरानी/शाजापुर/श्रु-रा/२०१७/२३३९

मान. न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक - /2017 निगरानी

1. अबरार खां पिता इब्राहीम खां
2. इमरान खां पिता इब्राहीम खां
कृषक ग्राम लखमनखेड़ी, निवासीगण मीरकला
बाजार शाजापुर --- आवेदकगण
विरुद्ध
1. खेरुनिशा विधवा लतीफ खां
2. रफीक खां पिता लतीफ खां
3. रफीक खां पिता लतीफ खां
4. फरीक खां पिता लतीफ खां
5. अतीक खां पिता लतीफ खां
6. तबस्सुम बी पुत्री लतीफ खां
समस्त निवासीगण ग्राम नैनावद तहसील
तराना जिला उज्जैन --- अनावेदकगण

पार्थी अभिभाषक श्री
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 14-7-17
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय,
उज्जैन

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

निगरानी बनाराजी आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय
शाजापुर प्रकरण क्रमांक 63/अ-12/2016-17 आदेश
दिनांक 08-05-2017

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नानुसार निगरानी सादर प्रस्तुत है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदकगण ने ग्राम लखमनखेड़ी स्थित सर्वे नंबर 452 रकबा 0.42 हेक्टर, सर्वे नंबर 453 रकबा 0.29 हेक्टर का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर से आवेदक क्र.2 को सूचित किये बिना उसकी अनुपस्थिति में मनमाने तौर पर विधि विरुद्ध सीमांकन दिनांक 07-05-2017 को किया गया है जिस पर से तहसीलदार महोदय ने दिनांक 08-05-2017 को आदेश पारित किया है जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।
2. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि न्यायालय अपर कलेक्टर शाजापुर के समक्ष अनावेदक क्र.1 ने एक आवेदन सत्तार खां के विरुद्ध प्रस्तुत कर यह सहायता चाही कि भूमि सर्वे नंबर 283/2 रकबा



3

2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/शाजापुर/भू.रा./2017/2339

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 25.10.2018 | <p>आवेदक अधिवक्ता, श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p></p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p> | |